प्रेस नोट
दिनांक 04.11.2024
संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया–

आज दिनांक 04.11.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में सदर तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगण द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगण द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना–पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर सहित राजस्व व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.11.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगाने में सहयोग करने व चोरी करने की वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–369/24, धारा 137(2),87,303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता श्रीमती मुस्कान पत्नी इजहार अली निवासिनी ग्राम कटी तिराहा रेलवे क्रासिंग थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को कटी तिराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद कमरबन्द व 01 जोड़ी पायल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 31.09.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी की लड़की को विपक्षी अभिषेक निषाद पुत्र बलवीर नि0 निषाद नगर रेतिया थाना कैण्ड जनपद अयोध्या द्वारा बहला–फुसला कर भगा ले गया है। प्रार्थी की लड़की घर के जेवरात लेकर चली गयी है। वादी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राजीव कन्नौजिया द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 04.11.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आयी अभियुक्ता–श्रीमती मुस्कान पत्नी इजहार अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद कमरबन्द व 01 जोड़ी पायल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्ता द्वारा प्रार्थी की पुत्री को विपक्षी अभिषेक निषाद के साथ बहला–फुसलाकर भगवाने में सहयोग किया गया था तथा उसके बैग में रखे जेवरात को चोरी कर लिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. श्रीमती मुस्कान पत्नी इजहारर अली निवासिनी ग्राम कटी तिराहा रेलवे क्रासिंग ग्राम कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–369/24, धारा 137(2),87 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 303(2),137(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राजीव कन्नौजिया।
02. का0 अखिलेश यादव।
03. म0का0 प्रान्सी यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.11.2024

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैर–इरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–406/24, धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–01. हरीश चौहान पुत्र शिवराम चौहान नि0 ग्राम ढोढियापारा मुरावनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को बालेश्वरनाथ मंदिर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.10.2024 को वादी रामदेव मौर्या पुत्र रामकरन मौर्या नि0 ग्राम ढोढियापारा मुरावन पुरवा थााना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि मेरी पत्नी कलावती घास काटने खेत गयी थी कि विपक्षी हरीश चौहान के खेत में लगे कटीले तार जिसमें बिजली का करंट प्रवाहित हो रहा था कि चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गयी है। वादी की तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 04.11.2024 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त हरीश चौहान को बालेश्वरनाथ मंदिर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. हरीश चौहान पुत्र शिवराम चौहान नि0 ग्राम ढोढियापारा मुरावनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–406/24, धारा 105 बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 रामधारी दिनकर।
02. का0 मंजीत सिंह।
03. का0 भूपेन्द्र प्रताप।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 04.11.2024</u>

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन व 02 अदद ई–रिक्शा की बैट्री बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–470/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्त तारा चन्द पुत्र राम बदल नि0 नैपुरिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को सोनबरसा तिराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन व 02 अदद ई–रिक्शा की बैट्री व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.11.2024 को वादी लल्लू प्रसाद पुत्र सुन्दर लाल ग्राम पड़री बल्लभ थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी की दिनांक 03/04.11.2024 की रात्रि गोण्डा–उतरौला मार्ग पर स्थित ग्राम विशवां गनेश से अज्ञात चोरों द्वारा उनके ई–रिक्शा की बैट्री चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें को0 देहात पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त तारा चन्द को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से से 01 अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन व 02 अदद ई–रिक्शा की बैट्री व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. तारा चन्द पुत्र राम बदल नि0 नैपुरिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 470/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 अदद ई–रिक्शा की बैट्री।
02. 01 अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल।
03. 01 अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र।
02. हे0का0 सोहन प्रसाद।
03. का0 नितिन कुमार।

<u>मीडिया सेल,गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 04.11.2024</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10,000/– रूपये अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदया श्रीमती पूजा सिंह द्वारा मार–पीट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों–01. अकरम पुत्र असलम उर्फ सुग्गालाल, 02. गोलू पुत्र जहूर, 03. जहूर पुत्र सकूर निवासीगण पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.08.2016 को उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुस्तकीम पुत्र मुस्ताक नि0 पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा व समीर को गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा था। जिससे समीर को गम्भीर चोटे आयी थी और व मौके पर ही बेहोश हो गया था। वादी की तहरीर पर थाना करनैलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। तत्कालीन विवेचक नीरज कुमार सिंह द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना करनैलगंज के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदया द्वारा 05–05 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रु० 10,000/– रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।

<u>अभियुक्तगण का नाम पता–</u>

01. अकरम पुत्र असलम उर्फ सुग्गालाल निवासी पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. गोलू पुत्र जहूर निवासी पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. जहूर पुत्र खकूर निवासी पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0स0–320/16 धारा 323,325,504,308 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोंडा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>